संख्या-1429/2025/670/22-2-2023-17(1197)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2025*

विषय:- जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी कोमल सक्सेना पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी कोमल सक्सेना पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना, काशीराम कालोनी, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहॉपुर का निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 21.12.2015 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लोहे के पाईप/सरिया से मारकर मनोज साहू नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-175/2016 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 404 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, शाहजहांपुर के दण्डादेश दिनांक 19.04.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, महिला बंदी द्वारा दिनांक 02.08.2022 तक अपरिहार 03 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा 04 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, शाहजहॉपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की उम्र 29 वर्ष एवं महिला बन्दी द्वारा अपरिहार 03 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष 10 माह 12 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी कोमल सक्सेना (बन्दी संख्या-177/2019) पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1429/2025/670(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहॉपुर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in